

अब KYC अपडेट कराना हुआ और भी आसान, जाने RBI का नया प्रस्ताव ।

Published on 24 May 2025 | By Samachar Wani Correspondent



नई दिल्ली, 24 मई 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 'जानिए अपने ग्राहक' (KYC) नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य न केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसना है, बल्कि ग्राहकों को समय-समय पर **KYC अपडेट** कराने में आ रही परेशानियों को भी दूर करना है।

यह प्रस्ताव लाखों बैंक उपभोक्ताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। रिजर्व बैंक के इस **ड्राफ्ट सर्कुलर** के अनुसार, **KYC अपडेट** की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

क्यों आया यह प्रस्ताव ?

RBI ने कहा कि समय-समय पर **KYC अपडेट** नहीं होने की वजह से कई खातों में लेन-देन अटक रहे हैं। खासतौर से **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)**, **इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT)**, और **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** के खातों में केवाईसी संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन मामलों में बड़ी संख्या में ग्राहकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके खाते इनएक्टिव या डॉरमेंट हो चुके हैं।

RBI ने दिए ये निर्देश :

1. बैंकों को अपने ग्राहकों को **KYC अपडेट** की कम से कम तीन बार अग्रिम सूचना देनी होगी।
2. बैंकों को **इनएक्टिव/डॉरमेंट खातों के लिए KYC अपडेट** की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
3. जिन बैंकों के पास **वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP)** की सुविधा है, उन्हें ग्राहकों के अनुरोध पर यह विकल्प देना होगा।
4. **RBI** ने यह भी कहा कि अधिकार प्राप्त **बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट (BC)** की मदद से भी डॉरमेंट खातों को एक्टिवेट किया जा सकता है।

सुझाव देने की अंतिम तिथि:

RBI के इस ड्राफ्ट सर्कुलर पर 6 जून 2025 तक सभी हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद नए नियमों को लागू किया जा सकता है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com